प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

रिट याचिका(सिविल) क्र.1568/2011

प्रज्ञा पवार और अन्य याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य उत्तरवादी

एवं

रिट याचिका सिविल क्र.1580, 1581, 1626, 1673 /2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश उद्घोषित किये जाने हेतु 5/08/2011को रखा जावे

हस्ताक्षरित /-

सतीश के. अग्नि होत्री

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र.1568 /2011

प्रज्ञा पवार और अन्य — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य — उत्तरवादी

रिट याचिका (सिविल)क्र. 1580/2011

मनीषा गुप्ता और अन्य — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य — उत्तरवादी

रिट याचिका (सिविल)क्र. 1581 / 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लता यादव और अन्य — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य — उत्तरवादी

रिट याचिका (सिविल)क्र. 1626 /2011

रेनू जायसवाल और अन्य — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य — उत्तरवादी

रिट याचिका (सिविल)क्र. 1673 /2011

माया दुबे और अन्य — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य — उत्तरवादी

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारत का संविधान

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित :- याचिकाकर्तागण की ओर से श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता

राज्य शासन/उत्तरवादी क्र.1 व 3 की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 2 व 4 की ओर से श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 5 की ओर से सुश्री मीना शास्त्री, अधिवक्ता

आदेश

(8 अगस्त, 2011 को पारित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. रिट याचिका(सिविल)क्र.1568, 1580, 1581, 1626 और 1673/2011 में तथ्यों और विधि का एक ही प्रश्न अन्तर्वलित है, अतएव, उनका इस एक ही सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. इन सभी याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता दिनांक 7-3-2011, 8-3-2011, 15-3-2011, 19-3-2011 और 21-3-2011 के आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना करते हुए यह भी मांग करते हैं उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जावे कि वे याचिकाकर्तागण को शैक्षणिक सत्र 2010-11 में उनकी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दें।

3. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षेप में सार यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 3- शासकीय माता सबरी नवीन कन्या महाविद्यालय(संक्षेप में 'उत्तरवादी कॉलेज') के नियमित छात्र हैं, जो उत्तरवादी क्र.2- गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केंद्रीय)(संक्षेप में 'उत्तरवादी विश्वविद्यालय') से शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए बी.ए./बी.कॉम /बी.सी.ए. भाग I, II और III के लिए यथाविधि संबद्ध है। तदनुसार, छात्रों ने अक्टूबर, 2010 के महीने में अपने आवेदन पत्र भरे, जिन्हें उत्तरवादी महाविद्यालय के साथ-साथ उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने भी यथाविधि स्वीकृत कर लिया गया। उचित सूक्ष्म परीक्षण के बाद, प्रवेश पत्र जारी किए गए। इस बीच, उत्तरवादी क्र. 5 ने प्रत्यक्षतया दिनांक 18-2-2011 को उत्तरवादी विश्वविद्यालय को एक शिकायत दर्ज करते हुए

व्यक्त किया किऊपरोक्त कक्षाओं के छात्रों की एक विषय यानी हिंदी में उपस्थिति कम है और विस्मयकारी ढंग से अंतिम समय में शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्तागण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और कोई "औपचारिक आदेश" पारित किए बगैर, एकपक्षीय जांच की तथा उत्तरवादी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में दिनांक 7-3-2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह निर्णय किया कि याचिकाकर्तागण को दिनांक 10-3-2011 से प्रारंभ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने से निषेधित कर दिया जाए व तदाशय की सूचना उत्तरवादी महाविद्यालय को दिया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा दिनांक 8-3-2011 के आदेश के अध्यधीन क्षेत्राधिकार रहित कुछ निर्देश जारी किए गए। यह आक्षेपित कार्यवाही उत्तरवादी राज्य शासन से सलाह किए बिना की गई है।

4. ऊपर बताई गई उपरोक्त सभी बातों के बावजूद, दिनांक 14-3-011 के आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरवादी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने दिनांक 7-3-2011 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि करते हुए ऊपर उल्लेखित की गई कक्षाओं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल भी जारी किया, जो दिनांक 24-3-2011 से आरंभ होने वाली थीं। उत्तरवादी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 19-3-201 व दिनांक 21-3-2011 को आहुत की गई, बैठक की कार्यवाही की प्रति दिनांक 22-3-2011 को उत्तरवादी महाविद्यालय को दी गईं, जिसके अध्यधीन यह तय किया गया कि उत्तरवादी महाविद्यालय की ऊपर बताई गई कक्षाओं की अंतिम परीक्षाएँ निलंबित रहेंगी तथा अलग से घोषित की जाएंगी, जबकि उत्तरवादी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालयों की ऊपर बताई गई सभी कक्षाओं दिनांक 24-3-2011 से प्रारंभ होने वाले की परीक्षाएँ पूर्वनिर्धारित अनुसार आयोजित की जाएंगी। याचिकाकर्तागण का ने यह अभिकथित किया है कि उत्तरवादी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने बिना किसी तुक के अकारण के यह आक्षेपित कार्रवाई की है और ऐसा आदेश पारित करने का उन्हें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वास्तव में, परीक्षाओं के आयोजन या किसी भी परीक्षा को रद्द करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल कार्यकारी परिषद को है। इस वजह से उपरोक्त याचिकाएँ संस्थित की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने व्यक्त किया कि आक्षेपित आदेश अनैतिक, अवैध व मनमानापूर्ण हैं और इस तरह वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 तथा 21 का अतिक्रमण करते हैं। अन्य सभी विषयों में याचिकाकर्तागण की उपस्थिति यथोचित और संतोषजनक है, अतएव, विशेषतः सभी छात्रों की हिंदी विषय में कम उपस्थिति अपने आप में अविश्वसनीय है और छात्रों के पास केवल हिंदी कक्षाओं में शामिल न होने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में, पहले याचिकाकर्तागण/छात्रों ने उत्तरवादी क्र. 5 के विरुद्ध कई

शिकायतें की थीं, जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका(सिविल)क्र. क्र.5 कभी भी कक्षाओं में शामिल नहीं हुई और हमेशा अपनी कक्षाओं से नदारद रहने की कोशिश करती थी। उत्तरवादी क्र.5 ने, सिर्फ दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रतिशोधात्मक कार्य करते हुए, छात्रों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। यहां तक कि उत्तरवादी क्र. 5 बिना किसी तुक,अकारण ही शिकायतें करने की आदी है।

6. श्री शर्मा ने आगे यह तर्क दिया कि उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा है कि उत्तरवादी क्र. 5 भी याचिकाकर्तागण की कम हाजिरी के लिए जिम्मेदार थी। याचिकाकर्तागण की पीठ पीछे गुप्त रूप से आक्षेपित कार्यवाही की गई है। श्री शर्मा ने आगे व्यक्त किया कि उपस्थिति रजिस्टर उत्तरवादी रिट याचिका (सिविल)क्र.5 द्वारा अनुरक्षित किया जाता था तथा अभिप्रायपूर्वक याचिकाकर्तागण की उपस्थिति, उसके द्वारा चिन्हित नहीं की गई। याचिकाकर्तागण के संदर्भ में, अध्यादेश के अनुसार उपस्थिति की गणना उचित रूप से नहीं किया गया। उपस्थिति की गणना कक्षाओं के आधार पर की जानी है, न कि विषय के आधार पर। वैसे भी, प्रवेश पत्र जारी करने व अदा की गई फीस प्राप्त करने के बाद, उत्तरवादी विश्वविद्यालय परीक्षा आरभ होने से यथा पूर्व, अंतिम समय में,याचिकाकर्तागण को सुनवाई का यथोचित अवसर दिए बिना आमूल परिवतन नहीं कर सकता है। अध्यादेश क्र.5 के अनुसार, उत्तरवादी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. राज्य शासन की ओर से उपस्थित हुए विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति ने निवेदन किया कि एक जांच समिति का गठन किया गया था तथा अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को उत्तरवादी महाविद्यालय में छात्रों की कम उपस्थिति के मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। अतिरिक्त निदेशक को मूल दस्तावेज की जांच करने की अनुमति नहीं दी गई, जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करने से मना कर दिया, इस वजह से, वे जांच पूरी नहीं कर सके।

8. उत्तरवादी क्र.2 व 4 विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा उत्तरवादी कॉलेज को दिनांक 18-2-2011 को की गई शिकायत के अनुवर्ती क्रम में, उसे अनुमोदित किये जाने हेतु उसकी एक प्रति उत्तरवादी विश्वविद्यालय को भेजी गई थी, जिसमें बी.ए./बी.कॉम/बी.सी.ए. भाग I, II और III के छात्रों की हिंदी विषय में कम उपस्थिति के बारे में बताया गया था, उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने छात्रों की कम उपस्थिति की जांच के लिए दो सदस्यों की एक समिति गठित की थी। जांच समिति ने दिनांक 6-3-2011 को उत्तरवादी महाविद्यालय का दौरा किया और संबंधित अभिलेख देखने के बाद,

उपाबंध आर 2/2 के अध्यधीन सूची तैयार किया व प्रतिवेदन जमा किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर और युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने विधि अनुसार आक्षेपित आदेश पारित किया था।

9. श्री श्रीवास्तव ने आगे निवेदन प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने पाया कि छात्र पाठ्यक्रम के हर विषय में अलग-अलग 15% की छूट के बाद भी न्यूनतम 75% उपस्थिति प्राप्त करने में विफल रहे हैं। उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने के बाद आक्षेपित कार्यवाहीकी है। इस प्रकार, ये विधिगत, व मान्य, न्यायसंगत और यथोचित है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्तागण की उपस्थिति न केवल हिंदी में, बल्कि अन्य विषयों में भी 60% से कम थी।

10. उत्तरवादी क्र.5 की ओर से पेश हो रही विद्वान अधिवक्ता सुश्री शास्त्री, ने निवेदन किया कि उत्तरवादी क्र. 5 एक सहायक व्याख्याता (हिंदी) हैं। वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं साथ ही वह एक सख्त व्याख्याता हैं। उत्तरवादी क्र. 5 कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। उत्तरवादी क्र. 5 ने विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है और उन्होंने 18-2-2011 के पत्र के ज़रिए उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्रों की कम उपस्थिति के बारे में सिर्फ़ सूचित किया था और उसकी पुष्टि स्वरूप एक प्रति उत्तरवादी विश्वविद्यालय को भी भेजी गई थी। इसके बाद, प्राधिकारियों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उपयुक्त कार्यवाही आरंभ की तथा आदेश पारित किए। हिंदी विषय में छात्रों की कम उपस्थिति के संबंध में बात कहने के अलावा, उत्तरवादी क्र.5 ने कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सुश्री शास्त्री आगे यह भी व्यक्त किया कि उत्तरवादी क्र.5 ने उपस्थिति रजिस्टर अच्छी तरह से तैयार किया और अपने विषय की कक्षाओं में नियमित रूप से अध्यापन लिया, किन्तु छात्र कभी भी उनकी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए। वास्तव में उत्तरवादी क्र.5 के विरुद्ध, दिनांक 15-9-2010, 17-9-2010 व 11-11-2010 को की गई शिकायतों में, शिकायतकर्तागण का विवरण का अभाव है। यहां तक कि उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य भी उत्तरवादी क्र. 5 के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

12. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ताओं को सुना, मामले के अभिवचनों पर विचार किया और उनसे जुड़े दस्तावेजों का परिशीलन किया ।

13. इसमें कोई विवाद नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा 15% की छूट के बाद परीक्षा में बैठने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में अलग-अलग दिए गए व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं, दोनों में न्यूनतम उपस्थिति 60% होनी चाहिए। इस प्रश्न पर कि अकादमिक परिषद के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है,उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने विनिश्चय को न्यायसंगत ठहराया है।

14. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम 2009 (संक्षेप में "अधिनियम और परिनियम 2009") की धारा 28 के परंतुक के अध्यधीन, जिसके तहत वर्तमान उत्तरवादी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आई, पहले परंतुक में यह स्पस्ट रूप से बताया गया है कि जब तक प्रथम अध्यादेश नहीं बनाया जाता, इस अधिनियम और परिनियम के अंतर्गत अध्यादेश में जिन मामलो के संबंध में प्रावधान किया जाना है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तत्काल पूर्व मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए परिनियम और अध्यादेश के प्रासंगिक उपबन्ध लागू होंगे, बशर्ते वे इस अधिनियम और परिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अध्यादेश क्र.5 (परीक्षाओं का संचालन) के खंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं रजिस्ट्रार द्वारा, जो कार्यकारी परिषद द्वारा शैक्षणिक परिषद परामर्श से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

16. अध्यादेश क्र.5 (परीक्षाओं का संचालन) के खंड 8 के अंतर्गत यह विनिर्दिष्ट प्रावधान है कि कार्यकारी परिषद सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या कोई अन्य अनियमितता हुई है जिसके लिए ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है।

17. अध्यादेश क्र.6 {परीक्षाएं (सामान्य} 'नियमित उम्मीदवार' और विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक नियमित परीक्षार्थी के प्रवेश को परिभाषित करता है। खंड 2(1) में यह प्रावधानित है कि किसी भी नियमित परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह (i) अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अध्ययन शाला या महाविद्यालय में एक छात्र के रूप में नामांकित न हो; (ii) जिस परीक्षा में वह प्रवेश चाहता है, उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो और उस परीक्षा के लिए नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; (iii) विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित हो; (iv) इस अध्यादेश और किसी भी अन्य अध्यादेश के सभी अन्य प्रावधानों को पूरा करता हो, जो उस परीक्षा में प्रवेश के लिए लागू होते हैं जिसमें वह प्रवेश चाहता है।

18. ऐसा आभास होता है कि यह शक्ति, अध्यादेश क्र.6 {परीक्षाएं (सामान्य)} के भाग 2 के अंतर्गत प्रयोग की गई है, जिसमे निर्णय लेने का अधिकार विश्वविद्यालय का है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित उम्मीदवार के प्रवेश के लिए योग्यता को केवल कार्यकारी परिषद ही तय करेगी ।

19. इस मामले में, जैसा कि विश्वविद्यालय ने अभिकथित किया है, जाँच की गई और प्रतिवेदन मे बताया गया कि याचिकाकर्तागण की हिंदी में 60% उपस्थिति कम थी। अतएव, उन्हें परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया गया। यह निर्णय अकादमिक परिषद की स्थायी समिति ने दिनांक 7-3-2011 को लिया था, जिसकी सूचना दिनांक8-3-2011 के पत्र द्वारा दी गई थी। रजिस्ट्रार का दिनांक 15-3-2011 का उत्तरवर्ती पत्र तथा अकादमिक परिषद की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 19-3-2011 को पारित संशोधित प्रस्ताव और उसके बाद, कुलपति की अध्यक्षता वाली अकादमिक परिषद द्वारा दिनांक 21-3-2011 को किया गया अनुमोदन, जिसके अंतर्गत यह निर्णीत किया गया कि उत्तरवादी महाविद्यालय के संबंध में बी.ए./बी.कॉम./बी.सी.ए. की परीक्षा रद्द कर दी जाए एवं अन्य महाविद्यालय की परीक्षा के लिए एक नई तारीख तय की जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. रिट याचिका (सि)क्र.1568 /2011 में, इस न्यायालय ने दिनांक 22-3-2011 के आदेश द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया कि "राज्य सरकार द्वारा जाँच अभी भी लंबित है और परीक्षा 24-3-2011 से प्रारंभ होने वाली है, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्तागण को आने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि, उनकी परीक्षा का परिणाम या अवस्था रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।"

21. रिट याचिका (सि)क्र. 1580/2011, 1581/2011 व 1626/2011 सभी में, इस न्यायालय ने दिनांक 23-3-2011 के आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया कि “विश्वविद्यालय को याचिकाकर्तागण की परीक्षा प्राइवेट उम्मीदवार परीक्षार्थी के तौर पर लेने की अनुमति है, जो 24-3-2011 से शुरू होनी है। हालांकि, याचिकाकर्तागण का परिणाम और वस्तुस्थिति रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।”

22. इसके बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए परस्पर विरोधी व्यक्तव्यों व तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विशेषतः, राज्य शासन के अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को मूल दस्तावेज़ नहीं दिए गए थे और वे जांच पूरी नहीं कर पाए, इस न्यायालय ने दिनांक 12-7-2011 के आदेश द्वारा श्री न्यायमूर्ति विजय

कुमार श्रीवास्तव,सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, और जिसमें रजिस्ट्रार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, श्री बी.एल. गोयल, अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग और श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्ता शामिल थे, ताकि आरोप-प्रत्यारोप की जांच की जा सके। इस बीच में, गुरुघासीदास विश्विद्यालय, बिलासपुर के कम्प्यूटर साइंस सुचना प्राद्योगिकी विभाग में मास्टर ऑफ़ कम्प्यूटर एप्लीकेशन के लिए काउंसलिंग स्थगित कर दी गई।

23. इसी के अनुवर्ती, समिति ने मामले की जांच की और दिनांक 19-7-2011 को बहुमत से उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही दिनांक 13, 15, 16, 17, 18 और 19 जुलाई, 2011 को हुई कार्यवाही की प्रति भी प्रस्तुत किया।

24. डॉ. एम.एस.के.खोखर, रजिस्ट्रार(कार्यवाहक), उत्तरवादी विश्वविद्यालय, जो समिति के सदस्य भी थे, ने दिनांक 19-7-2011 को एक पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

25. समिति ने सभी सम्बद्ध पक्षों को एक अवसर प्रदान किया है। उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने समिति के समक्ष उपस्थिति रजिस्टरऔर छात्रों के प्रवेश सूची से संबंधित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्तागण एवं उत्तरवादीगण ने आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में शपथपत्रों पर साक्ष्य पेश किए। उन्हें शपथपत्रों के प्रत्याखान में जवाबी साक्ष्य पेश करने का भी अवसर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. मामले के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद समिति ने निम्नलिखित विवाद्यक तय किए:

> "10. वर्तमान कार्यवाही में निम्नलिखित प्रश्न निर्धारण के लिए प्रकट होते हैं:
>
> अ) क्या विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति क्षेत्राधिकार विहीन थी।
>
> ब) क्या उपस्थिति रजिस्टर, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति ने याचिकाकर्तागण की न्यून उपस्थिति दर्ज की थी, उसमें हेरफेर किया गया था और उसमें दर्ज उपस्थिति या अनुपस्थिति को याचिकाकर्तागण की कम उपस्थिति दर्ज करने के लिए सही नहीं माना जा सकता था और उसमें बताए गए कार्य दिवस भी सही नहीं थे।

स) क्या उपस्थिति की गणना करते समय, याचिकाकर्तागण द्वारा भाग ली गई अतिरिक्त कक्षाओं पर विचार नहीं किया गया है।

द) क्या उत्तरवादी क्र.5 श्रीमती सुनंदा मरावी छात्रों की सही उपस्थिति दर्ज कर रही थीं और अपनी कक्षाएं नियमित रूप से ले रही थीं।

इ) क्या विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्तागण के साथ अन्य उसी प्रकार की स्थिति वाले छात्रों की तुलना में भेदभाव किया।

फ) क्या सुनवाई का अवसर दिए बिना, याचिकाकर्तागण को परीक्षा में शामिल होने से अयोग्य ठहराया जा सकता था।

ग) निष्कर्ष"

27. प्रश्न (अ) के संबंध में, समिति का मत था कि कुलपति समिति गठित करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत थे और इसमें अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. प्रश्न (ब) के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

13 "इस बात पर कोई विवाद नहीं रहा कि शिक्षकों को 31 जुलाई को उपस्थिति रजिस्टर दिए गए थे, कक्षाएं 16 जुलाई से शुरू हुई थीं, लेकिन कई मामलों में जुलाई 2010 के लिए उपस्थिति चिन्ह दर्ज नहीं की गई थी। यहां तक कि महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों को दिए गए रजिस्टरों के आधार पर भी, जुलाई महीने में उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उत्तरवादी क्र.5 के मामले के अनुसार, उन्हें 23 अगस्त तक प्रवेश सूची नहीं मिल सका था, जिसके लिए उन्होंने लगातार प्राचार्य को आवेदन किया, इससे ही यह स्पष्ट हो गया कि वह जुलाई महीने में और 23 अगस्त तक कोई उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ थीं। दिए गए परिदृश्य से यह स्पष्ट है कि काफ़ी दिनों तक छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर में सही और स्वीकार्य रीति से दर्ज नहीं की गई थी।

14. उपरोक्त विचार मंथन से यह स्पष्ट है कि शिक्षकों द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति में कई जगहों पर हेरफेर किया गया था, उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा गणना गए कार्य दिवस सही नहीं थे और

यद्यपि कुछ दिनों तक कक्षाएं जारी थीं, किन्तु जुलाई माह के अंत तक उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं था तथा सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य के शिक्षकद्वारा 23 अगस्त तक उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं था। जब रजिस्टर और उसमें अन्तर्विष्ट जानकारी सही नहीं थी, तो कोई भी सही गणना पत्रक कैसे तैयार कर सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति ने उन रजिस्टरों पर विश्वास करते हुए छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत अवधारित किया है, किन्तु जब स्वयं रजिस्टर गलत है और स्वीकार्य नहीं किया जा सकता था और उसमें अंतर्विष्ट जानकारी भी सही नही प्रतीत होती है, वस्तुतः अभिलेख और जानकारी में उपरोक्त विरूपता को देखते हुए,उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन को परिशुद्ध नहीं कहा जा सकता है।

29. प्रश्न (स) के पर यह अवधारित किया गया कि शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं ली गई थीं और छात्रों ने उनमें भाग लिया था, किन्तु विश्वविद्यालय की जांच समिति इस पर मंथन करने में विफल रही।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. प्रश्न(द) के संबंध में समिति ने माना कि कुछ याचिकाकर्तागण ने उत्तरवादी क्र.5 के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं कि वह नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेती थी और उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज नहीं करती थी। इस प्रकार, आगे यह भी माना गया कि:

> "16 ...जहां तक उन दिनों की उपस्थिति दर्ज करने की बात है जब उत्तरवादी क्र.5 द्वारा किसी न किसी कारण से व्याख्यान नहीं दिए गए थे, न तो उन दिनों को कार्य दिवस के रूप में गणना किया जा सकता है और न ही छात्रों को उपस्थिति की गणना के आशय से अनुपस्थित चिन्हित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में; ऐसा प्रतीत होता है यद्यपि उत्तरवादी क्र.5 द्वारा व्याख्यान नहीं दिए गये, फिर भी उन दिनों को कार्य दिवस माना गया और छात्रों को उनकी उपस्थिति से वंचित कर दिया गया।"

31. प्रश्न (इ) के संबंध में, यानी उत्तरवादी विश्वविद्यालय के विरुद्ध कथित पक्षपात के संबंध में, यह माना गया कि याचिकाकर्तागण के साथ अन्य समान स्थिति वाले छात्रों की तुलना में पक्षपात किया गया था।

32. प्रश्न(फ) के संबंध में यह पाया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था।

33. निश्चयात्मक रूप से यह माना गया कि विश्वविद्यालय ने स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्तागण की उपस्थिति की गणना सही ढंग से नहीं की थी। याचिकाकर्तागण के साथ पक्षपात किया गया और परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। यह भी माना गया कि उनकी उपस्थिति नियमित परीक्षार्थी के तौर पर नियमित परीक्षा में शामिल होने के लिए, तय उपस्थिति के प्रतिशत से कम नहीं है।

34. उत्तरवादी क्र.5 ने जांच प्रतिवेदन के जवाब में लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया, जिसमें उसी दृष्टिकोण को दोहराया गया, जो समिति के सामने रखा गया था, यद्यपि, समिति के विरुद्ध किसी भी बदनीयत या मनमाननापूर्ण रवैया का आक्षेप नहीं लगाया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने भी जांच समिति की प्रतिवेदन पर अपना जवाब दिया, जिसमें आक्षेप लगाया गया कि समिति का निष्कर्ष अध्यादेश क्र.6 के नियमों और विनियमों के विपरीत है। यह निर्धारित करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उन्होंने उपस्थिति की आवश्यकताओं को पूर्ण किया था।

36. समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अलावा, दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उत्तरवादी क्र.5 ने उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रवेश सूची की एक प्रति देने के लिए दिनांक 5-8-2010 को एक पत्र (उपाबंध- आर5/5) लिखा था। दिनांक 23-8-2010 को उत्तरवादी क्र. 5 ने पुनः उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखा कि प्रवेश सूची न होने के कारण उनके लिए कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिनांक 23-8-2010 तक हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के सभी कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद, दिनांक 2-11-2010 को उत्तरवादी क्र.5 ने कम उपस्थिति की प्रतिवेदन(उपाबंध–आर 5/8) दिया है।

37. उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच करने पर पाया गया कि अन्य विषयों में कोई कम उपस्थिति नहीं थी तथा बी.ए. राजनीति शास्त्र के

मामले में 32 दिनों की अतिरिक्त कक्षाओं को विचार विमर्श हेतु रखा गया था। बी.सी.ए.(प्रथम वर्ष) में 40 छात्रों में से, 39 छात्रों की उपस्थिति 60% से 75% से अधिक बताई गई और 1 छात्र की उपस्थिति 75% से अधिक थी। बी.सी.ए.(द्वितीय वर्ष) के मामले में छात्रों की उपस्थिति 60% से अधिक थी। बी.सी.ए.(तृतीय वर्ष) में भी यह 60% से अधिक पाया गया सिवाय 2 छात्रों के जिनकी उपस्थिति 60% से कम थी। बी.कॉम. के मामले में भी उपस्थिति 60% से अधिक है, सिवाय 2 या 3 छात्रों के।

38. दिनांक 14-3-2011 को अकादमिक परिषद की आकस्मिक बैठक सम्पन्न हुई जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया:

"विभिन्न विषयों में छात्रों की उपस्थिति, जिसमें हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की उपस्थिति शामिल है, संकलित की गई। उपस्थिति दस्तावेज के अनुसार; बी.ए. भाग 1 में केवल 6 छात्र, बी.ए. 2 में 00, बी.ए. भाग 3 में 6, बी.कॉम भाग 1 में 14, बी.कॉम भाग 2 में 11 तथा बी.कॉम भाग 3 में 1, और बी.सी.ए.भाग 1 में 30, बी.सी.ए. भाग 2 में 24 एवं बी.सी.ए. भाग 3 में 15 छात्र, नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने के योग्य पाए गए क्योंकि अध्यादेशक्र.6 के उपबंध के अंतर्गत 15% अनुपस्थिति माफ करने के बाद उनकी कुल उपस्थिति 60% से अधिक है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

39. इस प्रकार, उत्तरवादी विश्वविद्यालय का यह तर्क कि अन्य विषयों में उपस्थिति कम थी, अस्वीकृत किया जाता है।

40. उत्तरवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत पृथक व स्वतंत्र प्रतिवेदन स्वीकार्य नहीं है। समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के बाद रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा की जाती थी कि 'वह समिति में अन्य सदस्यों के साथ विवाद बिंदु की जांच करते समय विश्वविद्यालय के एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि न्यायसंगत और तटस्थ भाव से कार्य करेंगे'।

41. मैंने समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कोई शैथिल्यता या कमी नहीं पाया, क्योंकि प्रतिवेदन में मामले के सभी पहलुओं पर विश्लेषण किया है और स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपस्थिति कम नहीं थी और छात्रों ने कक्षाओं भाग लिया था, किन्तु उत्तरवादी क्र.5 के हेरफेर और गुप्त प्रयोजन के कारण, याचिकाकर्तागण को अध्यादेश क्र.6 में अपेक्षित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाला बताया गया था।

42. उपरोक्त के विचार से, मैं बिना किसी हिचकिचाहट व दृढ़तापूर्वक के यह मानता हूं कि याचिकाकर्तागण ने उपस्थिति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस प्रकार, उन्हें

उस परीक्षा के लिए नियमित छात्र माना जाएगा जिसमें वे पहले ही उपस्थित हो चुके हैं। उक्त परीक्षा का परिणाम आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर तुरंत घोषित किया जाएगा ताकि याचिकाकर्तागण को आगे के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित न किया जा सके।

43. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएं ऊपर बताए गए सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।

44. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नही दिया गया ।

हस्ताक्षरित /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate